

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

राष्ट्रिय अस्पताल, चौड़ी।

2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,

जनपद

पत्रांक-

अर्थ-2/ 4464-71/5क(02)/03/2016-17

दिनांक: 24 मई, 2015

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा०शि०) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा०शि०) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 2752000/- की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध कराये।

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराये। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।


3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैट आई०डी० के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्यय में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन।

भवदीय,



(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०- अर्थ-2/ /5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
- 2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Director Elementary Education (4514)

अलोटमेंट आई डी - H1605111962

आवंटन पत्र दिनांक -20-May-2016

आवंटन पत्र संख्या - -

अनुदान संख्या - 011

DDO Name - Regional Addl Director,Elementary Education (4516) , Treasury - Garhwal (4200)

1: लेखा शीर्षक	2202 - सामान्य शिक्षा	01 - प्रारम्भिक शिक्षा
	104 - निरीक्षण	03 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)
	00 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)	

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	1152000	1152000
03 - महंगाई भत्ता	0	1440000	1440000
04 - यात्रा व्यय	0	8000	8000
06 - अन्य भत्ते	0	115000	115000
08 - कार्यालय व्यय	0	10000	10000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	0	10000	10000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	8000	8000
47 - कम्प्यूटर अन्वेषण/तत्सम्बन्धी	0	9000	9000
	0	2752000	2752000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

2752000

Amita

वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),
गढ़वाल मण्डल, देहरादून
2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,
जनपद _____

पत्रांक-

अर्थ-2/ _____ /5क(02)/03/2016-17

दिनांक: 24 मई, 2015

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 2752000=10 की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध करायें।

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध करायें। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।

3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमेंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन।

भवदीय,

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0- अर्थ-2/4464-71 /5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
- 2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।



(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

Ln

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

.....डॉ. आर. के. कौशल, बैकीताल

2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,

जनपद

पत्रांक-

अर्थ-2/ 4472-79 /5क(02)/03/2016-17

दिनांक: 24 मई, 2015

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा०शि०) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा०शि०) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 2378000=00 की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध कराये।

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराये। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।


3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमेंट आई०डी० के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन।

भवदीय,



(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०- अर्थ-2/ /5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
- 2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Director Elementary Education (4514)

आवंटन पत्र संख्या - -

अनुदान संख्या - 011

अलोटमेंट आई डी - H1605111963

आवंटन पत्र दिनांक -20-May-2016

DDO Name - Regional Addl Director,Elementary Education (4516) , Treasury - Nainital (3600)

1: लेखा शीर्षक	2202 - सामान्य शिक्षा	01 - प्रारम्भिक शिक्षा
	104 - निरीक्षण	03 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)
	00 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)	

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	980000	980000
03 - महंगाई भत्ता	0	1224000	1224000
04 - यात्रा व्यय	0	8000	8000
06 - अन्य भत्ते	0	98000	98000
08 - कार्यालय व्यय	0	10000	10000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	0	10000	10000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	8000	8000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0	31000	31000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	0	9000	9000
	0	2378000	2378000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

2378000



वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा
बल्लारगढ़

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),
मुशांर मण्डल, जेनीताल 1

2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,

जनपद

पत्रांक-

अर्थ-2 / / 5क(02)/03/2016-17

दिनांक: 24 मई, 2015

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 2378000=०० की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध कराये।

- 1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराये। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।
- 3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
- 4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमेंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- 5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन।

भवदीय,

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पू0सं0- अर्थ-2/4472-79 /5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
- 2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,

जनपद उत्तराखण्ड

पत्रांक-

अर्थ-2/4480-99 /5क(02)/03/2016-17

दिनांक: 24 मई, 2015

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 1641000-00 की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध करायें।

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध करायें। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।

3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमेंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन।

भवदीय,



(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0- अर्थ-2/ /5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
- 2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Director Elementary Education (4514)

आवंटन पत्र संख्या - -

अनुदान संख्या - 011

अलोटमेंट आई डी - H1605111932

आवंटन पत्र दिनांक -20-May-2016

DDO Name - Finance Officer Elementry Education Almora (4520) , Treasury - Almora (3700)

1: लेखा शीर्षक	2202 - सामान्य शिक्षा	01 - प्रारम्भिक शिक्षा
	104 - निरीक्षण	03 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)
	00 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)	

मानक मद का नाम	Non Plan Voted		
	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	680000	680000
03 - महंगाई भत्ता	0	852000	852000
04 - यात्रा व्यय	0	6000	6000
06 - अन्य भत्ते	0	68000	68000
08 - कार्यालय व्यय	0	10000	10000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	0	10000	10000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	7000	7000
47 - कम्प्यूटर अन्वेषण/तत्सम्बन्धी	0	8000	8000
	0	1641000	1641000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

1641000

Amrita
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,
जनपद इला शौड़ा

पत्रांक-

अर्थ-2/

/5क(02)/03/2016-17

दिनांक: मई, 2015

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 1641000-00 की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध करायें।

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की **10 तारीख तक** अर्थ अनुभाग को उपलब्ध करायें। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।

3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमेंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन।

भवदीय,

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0- अर्थ-2/ 4480-99 /5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
- 2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।



(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,

जनपद वासीरवर

पत्रांक-

अर्थ-2/ 4480-99 /5क(02)/03/2016-17

दिनांक: 24 मई, 2015

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 1263000-00 की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निर्वर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध करायें।

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की **10 तारीख तक** अर्थ अनुभाग को उपलब्ध करायें। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।


3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अप्रैल कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन।

भवदीय,



(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0- अर्थ-2/ /5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
- 2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Director Elementary Education (4514)

आवंटन पत्र संख्या - -

अनुदान संख्या - 011

अलोटमेंट आई डी - H1605111934

आवंटन पत्र दिनांक -20-May-2016

DDO Name - Finance Officer Elementary Education Bageshwar (4519) , Treasury - Bageshwar (8900)


1: लेखा शीर्षक	2202 - सामान्य शिक्षा	01 - प्रारम्भिक शिक्षा
	104 - निरीक्षण	03 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)
	00 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)	

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	524000	524000
03 - महंगाई भत्ता	0	656000	656000
04 - यात्रा व्यय	0	5000	5000
06 - अन्य भत्ते	0	52000	52000
08 - कार्यालय व्यय	0	8000	8000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	0	8000	8000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	4000	4000
47 - कम्प्यूटर अन्वेषण/वत्सम्बन्धी	0	6000	6000
	0	1263000	1263000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

1263000


वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,
जनपद बागेश्वर

पत्रांक-

अर्थ-2/ /5क(02)/03/2016-17

दिनांक: 24 मई, 2015

विषय-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 1263000 = 00 की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध कराये।

- 1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।
 - 2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराये। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।
 - 3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
 - 4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमेंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
 - 5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।
- संलग्न- आवंटन।

भवदीय,

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0- अर्थ-2/ 4480-99 /5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
- 2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।



(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,

जनपद 424197

पत्रांक-

अर्थ-2/ 4480-99 /5क(02)/03/2016-17

दिनांक: 24 मई, 2015

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 1113000-00 की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध कराये।

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराये। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।


3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त-अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमेंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन।

भवदीय,



(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0- अर्थ-2/ /5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
- 2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Director Elementary Education (4514)

आवंटन पत्र संख्या - -

अनुदान संख्या - 011

अनोटमेंट आई डी - H1605111935

आवंटन पत्र दिनांक -20-May-2016

DDO Name - Finance Officer Elementry Education Champawat (4519) , Treasury - Champawat (8800)

1: लेखा शीर्षक	2202 - सामान्य शिक्षा	01 - प्रारम्भिक शिक्षा
	104 - निरीक्षण	03 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)
	00 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)	

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	460000	460000
03 - महंगाई भत्ता	0	576000	576000
04 - यात्रा व्यय	0	5000	5000
06 - अन्य भत्ते	0	46000	46000
08 - कार्यालय व्यय	0	8000	8000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	0	8000	8000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	4000	4000
47 - कम्प्यूटर अन्वेषण/तत्सम्बन्धी	0	6000	6000
	0	1113000	1113000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

1113000

वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,

जनपद पटौली

पत्रांक-

अर्थ-2/

/5क(02)/03/2016-17

दिनांक: 24 मई, 2015

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा०शि०) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा०शि०) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 1113000.00 की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध कराये।

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराये। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।

3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमेंट आई०डी० के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन।

भवदीय,

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०- अर्थ-2/ 4480-99 /5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
- 2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।

Amita

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,

जनपद दे.की.ता.त.

पत्रांक-

अर्थ-2/ 4480-99 / 5क(02)/03/2016-17

दिनांक: 24 मई, 2015

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 1741000-00 की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध करायें।

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध करायें। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।


3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय-शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन।

भवदीय,


(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पू0सं0- अर्थ-2/ / 5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
- 2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Director Elementary Education (4514)

आवंटन पत्र संख्या - -

अनुदान संख्या - 011

अनोटमेंट आई डी - H1605111941

आवंटन पत्र दिनांक -20-May-2016

DDO Name - Finance Officer Elementry Education Nainital (4522) , Treasury - Nainital (3600)

1: लेखा शीर्षक	2202 - सामान्य शिक्षा	01 - प्रारम्भिक शिक्षा
	104 - निरीक्षण	03 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)
	00 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)	

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	724000	724000
03 - महंगाई भत्ता	0	904000	904000
04 - यात्रा व्यय	0	6000	6000
06 - अन्य भत्ते	0	72000	72000
08 - कार्यालय व्यय	0	10000	10000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	0	10000	10000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	7000	7000
47 - कम्प्यूटर अन्वेषण/तत्सम्बन्धी	0	8000	8000
	0	1741000	1741000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

1741000



वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा



निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,
जनपद दोनीताल

पत्रांक-

अर्थ-2/ /5क(02)/03/2016-17

दिनांक: 24 मई, 2015

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 1741000=00 की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध करायें।

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध करायें। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।

3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन।

भवदीय,

(अमिता जोशी)


वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पू0सं0- अर्थ-2/ 4480-99 /5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
- 2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।



(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,

जनपद पिथौरागढ़

पत्रांक-

अर्थ-2/ 4400-99 /5क(02)/03/2016-17

दिनांक: 24 मई, 2015

विषय:-


वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 1829000-00 की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध कराये।

- 1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।
 - 2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराये। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।
 - 3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
 - 4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
 - 5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।
- संलग्न- आवंटन।

भवदीय,



(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

CA विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0- अर्थ-2/ /5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
- 2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,
जनपद पिपेशावाड़ा

पत्रांक-
विषय:-

अर्थ-2/ /5क(02)/03/2016-17 दिनांक: 24 मई, 2015
वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 1829000=00 की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध करायें।

- 1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।
 - 2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध करायें। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।
 - 3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
 - 4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
 - 5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।
- संलग्न- आवंटन।

भवदीय,

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पू0सं0- अर्थ-2/ 4480-99 /5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
- 2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।



(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,

जनपद उधमसिंहनगर

पत्रांक-

अर्थ-2/ 4480-99/5क(02)/03/2016-17

दिनांक: 24 मई, 2015

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 1441000=०० की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निर्वर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध करायें।

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध करायें। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।

3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त अनुदान-की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अप्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन।

भवदीय,



(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0- अर्थ-2/ /5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
- 2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Director Elementary Education (4514)

आवंटन पत्र संख्या - -

अनुदान संख्या - 011

अलोटमेंट आई डी - H1605111943

आवंटन पत्र दिनांक -20-May-2016

DDO Name - Finance Officer Elementary Education U S Nagar (4519) , Treasury - U S Nagar (7500)

1: लेखा शीर्षक	2202 - सामान्य शिक्षा	01 - प्रारम्भिक शिक्षा
	104 - निरीक्षण	03 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)
	00 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)	

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	596000	596000
03 - भहंगाई भत्ता	0	744000	744000
04 - यात्रा व्यय	0	6000	6000
06 - अन्य भत्ते	0	60000	60000
08 - कार्यालय व्यय	0	10000	10000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	0	10000	10000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	7000	7000
47 - कम्प्यूटर अवरक्षण/तत्सम्बन्धी	0	8000	8000
	0	1441000	1441000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

1441000

वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,
जनपद इ.प.म.वि.ए.म.र.वि.

पत्रांक-

अर्थ-2/ /5क(02)/03/2016-17

दिनांक: 24 मई, 2015

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 1441000.00 की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निर्वर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध कराये।

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराये। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।

3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन।

भवदीय,

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0- अर्थ-2/ 4480-99 /5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
- 2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।



(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,
जनपद पौड़ी (जी.पी.इ.व.२)

पत्रांक-

अर्थ-2/ 4480-99/5क(02)/03/2016-17

दिनांक: 24 मई, 2015

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 1583000=० की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध करायें।

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध करायें। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।


3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन।

भवदीय,



(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0- अर्थ-2/ /5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
- 2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Director Elementary Education (4514)

आवंटन पत्र संख्या - -

अनुदान संख्या - 011

अलोटमेंट आई डी - H1605111944

आवंटन पत्र दिनांक -20-May-2016

DDO Name - Finance Officer Elementry Education Chamoli (4519) , Treasury - Gopeshwar (4000)

1: लेखा शीर्षक	2202 - सामान्य शिक्षा	01 - प्रारम्भिक शिक्षा
	104 - निरीक्षण	03 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)
	00 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)	

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	656000	656000
03 - महंगाई भत्ता	0	820000	820000
04 - यात्रा व्यय	0	6000	6000
06 - अन्य भत्ते	0	66000	66000
08 - कार्यालय व्यय	0	10000	10000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	0	10000	10000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	7000	7000
47 - कम्प्यूटर अन्वेषण/तत्सम्बन्धी	0	8000	8000
	0	1583000	1583000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

1583000

वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा
जनपद पञ्चौली (गौपेश्वर)

पत्रांक-

अर्थ-2/ /5क(02)/03/2016-17

दिनांक: 24 मई, 2015

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 1583000-00 की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध कराये।

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराये। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।

3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त अनुदान की-प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमेंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन।

भवदीय,

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0- अर्थ-2/ 4480-99 /5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
- 2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।

Amrita

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,

जनपद रूड़कुटी

पत्रांक-

अर्थ-2/ 4480-99/5क(02)/03/2016-17

दिनांक: 24 मई, 2015

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 1159000=11 की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध करायें।

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध करायें। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।

3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमेंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन।

भवदीय,



(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0- अर्थ-2/

/5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
- 2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Director Elementary Education (4514)

आवंटन पत्र संख्या - -

अनुदान संख्या - 011

अलोटमेंट आई डी - H1605111945

आवंटन पत्र दिनांक -20-May-2016

DDO Name - Finance Officer Elementary Education Rudraprayag (4519) , Treasury - Rudraprayag (9000)

1: लेखा शीर्षक	2202 - सामान्य शिक्षा	01 - प्रारम्भिक शिक्षा
	104 - निरीक्षण	03 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)
	00 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)	

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	480000	480000
03 - महंगाई भत्ता	0	600000	600000
04 - यात्रा व्यय	0	5000	5000
06 - अन्य भत्ते	0	48000	48000
08 - कार्यालय व्यय	0	8000	8000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	0	8000	8000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	4000	4000
47 - कम्प्यूटर अन्वेषण/तत्सम्बन्धी	0	6000	6000
	0	1159000	1159000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

1159000

Amita
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा
सुतराखण्ड

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,

जनपद 2554/01

पत्रांक-

अर्थ-2/ /5क(02)/03/2016-17

दिनांक: 24 मई, 2016

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 1159000-00 की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निर्वर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध कराये।

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराये। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।

3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमेंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन।

भवदीय,

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0- अर्थ-2/ 4480-99 /5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
- 2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।



(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,

जनपद कीर्ति गढ़वाल

पत्रांक-

अर्थ-2/ 4480-99/5क(02)/03/2016-17

दिनांक: 24 मई, 2015

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 1687000=00 की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निर्वर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध करायें।

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध करायें। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।


3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन।

भवदीय,



(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पु०सं०- अर्थ-2/

/5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
- 2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,

जनपद कीर्ति गढ़वाल

पत्रांक-

अर्थ-2/ 4480-99/5क(02)/03/2016-17

दिनांक: 24 मई, 2015

विषय:-


वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 1687000=00 की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध कराये।

- 1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।
 - 2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराये। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।
 - 3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
 - 4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमेंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
 - 5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।
- संलग्न- आवंटन।

भवदीय,



(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पू0सं0- अर्थ-2/

/5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
- 2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Director Elementary Education (4514)

आवंटन पत्र संख्या - -

अनुदान संख्या - 011

अलोटमेंट आई डी - H1605111946

आवंटन पत्र दिनांक - 20-May-2016

DDO Name - Finance Officer Elementary Education Pauri (4522) , Treasury - Garhwal (4200)

1: लेखा शीर्षक	2202 - सामान्य शिक्षा	01 - प्रारम्भिक शिक्षा
	104 - निरीक्षण	03 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)
	00 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)	

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	700000	700000
03 - महंगाई भत्ता	0	876000	876000
04 - यात्रा व्यय	0	6000	6000
06 - अन्य भत्ते	0	70000	70000
08 - कार्यालय व्यय	0	10000	10000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	0	10000	10000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	7000	7000
47 - कम्प्यूटर अन्वयण/तत्सम्बन्धी	0	8000	8000
	0	1687000	1687000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

1687000


वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,

जनपद ~~कैसी~~ बागेश्वर

पत्रांक-

अर्थ-2/

/5क(02)/03/2016-17

दिनांक: 24 मई, 2015

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 1687000=00 की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध कराये।

- 1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।
 - 2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराये। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।
 - 3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
 - 4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमेंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
 - 5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।
- संलग्न- आवंटन।

भवदीय,

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0- अर्थ-2/ 4480-99 /5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
- 2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।



(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,

जनपद

टिहरी C नई टिहरी

पत्रांक-

अर्थ-2/ 4480-99 / 5क(02)/03/2016-17

दिनांक: 24 मई, 2015

विषय:-


वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 1666000-00 की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध कराये।

- 1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।
 - 2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराये। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।
 - 3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
 - 4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
 - 5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।
- संलग्न- आवंटन।

भवदीय,



(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0- अर्थ-2/

/5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
- 2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Director Elementary Education (4514)

आवंटन पत्र संख्या - -

अनुदान संख्या - 011

अलोटमेंट आई डी - H1605111947

आवंटन पत्र दिनांक - 20-May-2016

DDO Name - Finance Officer Elementary Education New Tehri (4521) , Treasury - New Tehri (6100)


1: लेखा शीर्षक	2202 - सामान्य शिक्षा	01 - प्रारम्भिक शिक्षा
	104 - निरीक्षण	03 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)
	00 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)	

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	692000	692000
03 - महंगाई भत्ता	0	864000	864000
04 - यात्रा व्यय	0	6000	6000
06 - अन्य भत्ते	0	69000	69000
08 - कार्यालय व्यय	0	10000	10000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	0	10000	10000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	7000	7000
47 - कम्प्यूटर अन्वेषण/तत्सम्बन्धी	0	8000	8000
	0	1666000	1666000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

1666000


वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा
जहाँसारीखण्ड

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा
जनपद उत्तरकाशी

पत्रांक-

अर्थ-2/ /5क(02)/03/2016-17

दिनांक: 24 मई, 2015

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 1545000=० की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निर्वर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध कराये।

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय की निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराये। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।

3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमेंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन।

भवदीय,

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0- अर्थ-2/ 4480-99 /5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
- 2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।



(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Director Elementary Education (4514)

आवंटन पत्र संख्या - -

अनुदान संख्या - 011

अलोटमेंट आई डी - H1605111949

आवंटन पत्र दिनांक -20-May-2016

DDO Name - Finance Officer Elementry Education Uttarkashi (4519) , Treasury - Uttarkashi (4100)

1: लेखा शीर्षक	2202 - सामान्य शिक्षा	01 - प्रारम्भिक शिक्षा
	104 - निरीक्षण	03 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)
	00 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)	

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	640000	640000
03 - महंगाई भत्ता	0	800000	800000
04 - यात्रा व्यय	0	6000	6000
06 - अन्य भत्ते	0	64000	64000
08 - कार्यालय व्यय	0	10000	10000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	0	10000	10000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	7000	7000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	0	8000	8000
	0	1545000	1545000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

1545000

Anita

वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा

जनपद उत्तरकाशी

पत्रांक-

अर्थ-2/

/5क(02)/03/2016-17

दिनांक: 24 मई, 2015

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 1545000=०० की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध कराये।

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की **10 तारीख तक** अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराये। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।

3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमेंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन।

भवदीय,

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0- अर्थ-2/ 4480-99 /5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
- 2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।



(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,

जनपददेहरादून.....

पत्रांक-

अर्थ-2/ 2480-995क(02)/03/2016-17

दिनांक: 24 मई, 2015

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 1666000=00 की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध कराये।

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराये। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।

3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन।

भवदीय,



(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0- अर्थ-2/ /5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।

2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।

5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।

6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।

7- कार्यालय गार्ड फाइल।

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Director Elementary Education (4514)

आवंटन पत्र संख्या - -

अनुदान संख्या - 011

अलोटमेंट आई डी - H1605111952

आवंटन पत्र दिनांक -20-May-2016

DDO Name - Finance Officer Elementary Education Dehradun (4519) , Treasury - Dehradun (0100)

1: लेखा शीर्षक	2202 - सामान्य शिक्षा	01 - प्रारम्भिक शिक्षा
	104 - निरीक्षण	03 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)
	00 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)	

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	692000	692000
03 - महंगाई भत्ता	0	864000	864000
04 - यात्रा व्यय	0	6000	6000
06 - अन्य भत्ते	0	69000	69000
08 - कार्यालय व्यय	0	10000	10000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	0	10000	10000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	7000	7000
47 - कम्प्यूटर अन्वेषण/तन्त्रसम्बन्धी	0	8000	8000
	0	1666000	1666000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

1666000

Anita

वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,

जनपद हार्द्वार

पत्रांक-

अर्थ-2/ 4480-995क(02)/03/2016-17

दिनांक: 24 मई, 2015

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा०शि०) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा०शि०) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 1574000-00 की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध करायें।

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध करायें। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।

3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैट आई०डी० के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन।

भवदीय,



(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०- अर्थ-2/ /5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
- 2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Director Elementary Education (4514)

आवंटन पत्र संख्या - -

अनुदान संख्या - 011

अलोटमेंट आई डी - H1605111954

आवंटन पत्र दिनांक -20-May-2016

DDO Name - Finance Officer Elementry Education Haridwar (4519) , Treasury - Haridwar (6500)

1: लेखा शीर्षक	2202 - सामान्य शिक्षा	01 - प्रारम्भिक शिक्षा
	104 - निरीक्षण	
	00 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)	03 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)

मानक मद का नाम	Non Plan Voted		
	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	652000	652000
03 - महंगाई भत्ता	0	816000	816000
04 - यात्रा व्यय	0	6000	6000
06 - अन्य भत्ते	0	65000	65000
08 - कार्यालय व्यय	0	10000	10000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	0	10000	10000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	7000	7000
47 - कम्प्यूटर अंतरिक्षण/तत्सम्बन्धी	0	8000	8000
	0	1574000	1574000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

1574000

Shruti

वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

1-मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

2-वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,

जनपद हरिद्वार

पत्रांक-

अर्थ-2/ /5क(02)/03/2016-17

दिनांक: 24 मई, 2015

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 322/XXIV(1)/2016-14/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू० 1574000=00 की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निर्वर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक मांग निदेशालय को उपलब्ध कराये।

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय की निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराये। व्यय विवरण उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य में बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।

3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्यय में अनुदान संख्या-11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03-क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन।

भवदीय,

(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पू0सं0- अर्थ-2/ 4480-99 /5क(02)/03/2016-17 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
- 2- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।



(अमिता जोशी)

वित्त नियन्त्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।